

परीक्षणी पेश हुई। उपायपत्र कार्यालय उपायपत्र।
 अधिकारक प्राची - अप्रीची की नकल सुनी गई।
 प्रीची द्वारा प्राची पर इस आशय का पत्र किया
 गया कि दिनांक 17/3/09 को प्राची के अधिकारक
 द्वारा तारीख पेशी की सुनना प्राची को नहीं दिख
 माने है - कार्यालय में उपायपत्र प्राची नहीं है लका
 और प्राची का बाद पत्र कार्यालय द्वारा अलग
 पेशी अलग दायरी रखा है पर दिख गया।

प्राची द्वारा जान बूझकर कार्यालय में
 उपायपत्र नहीं हो सके है। प्राची को से मुक्त होनी
 अन्यायिक है। जो काना योग्य है। प्राची का
 नंबर नम्बर पर लिखा जावे।

अधिकारक प्राची का कथन है कि गुडिफि
 केरु एम प्रीमर के कार्यालय से प्रकाश पी पी एन
 मने के पर-पत्र द्याक के निम्न जाने पर प्राची को
 को तारीख पेशी का निम्न दिनांक से अकारक कराने
 में अक्षम रहा। परन्तु कार्यालय में कार्यालय
 द्वारा कान से कान तीन बार अवसर दिया जाता है
 जो नहीं दिख गया। यह एकमात्र बीच एवं सदमावी
 मूल है जो काना योग्य है। प्राची का बाद पत्र
 नम्बर पर लिखी जावे।

अधिकारक अप्रीची का कथन है कि प्राची
 द्वारा दिनांक 17/3/09 को कार्यालय में अनुपस्थित
 रहने का कोई कोई सबूत पेश नहीं किया गया है
 जिससे प्राची का प्राची स्वीकार हो सके। अतः प्राची
 का प्राची रखा है योग्य है।

नकल अधिकारक उपायपत्र कार्यालय सुनी गई।
 परीक्षणी का आवेदनक किया। जिससे में इस
 निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कार्यालय में प्राची का प्राची
 प्रीची स्वीकार किया जाना अन्यायिक है। अतः प्राची
 का प्राची पर 09 Rule 9 बारी 151 CPC स्वीकार
 किया जाता है। परीक्षणी पेशी सुनार हो पर मूलबद
 के साथ संलग्न है।

उपखांड अधिकारी
 एवडा जिला बारी (राज.)